

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

क्र.स.	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम सेवाएँ तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
1	पेयजलापूर्ति संबंधी मामले (ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तचालित नलकूप/पाईप जलापूर्ति योजना के माध्यम से) (क) पूर्व के एवं विद्यमान पाईप जलापूर्ति योजना एवं चापाकल का संधारण एवं रख-रखाव (ख) पूर्व के विद्यमान फ्लोराईड, एवं लौह प्रभावित क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति संबंधी मामले।	पेयजल आपूर्ति/नल का कनेक्शन मिलने/चापाकल स्थापित होने/स्वच्छ जल की आपूर्ति/बोरिंग पानी टंकी का गुणवत्तापूर्ण निर्माण/क्षतिग्रस्त पाईप का मरम्मत/चापाकलों की मरम्मत कार्य एवं संपोषण/पम्प चालक का मानदेय का ससमय भुगतान से संबंधित।	पेयजल आपूर्ति नहीं होने/नल का कनेक्शन नहीं मिलने/रैयती जमीन पर जबरन नल जल योजना की इकाई को चालू करने/स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं होने/बोरिंग पानी टंकी का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं कराये जाने/नई पाइप लाइन बिछाने का कार्य में अनियमितता होने/क्षतिग्रस्त पाईप का मरम्मत/चापाकलों की मरम्मत कार्य एवं संपोषण/पम्प चालक का मानदेय का ससमय भुगतान नहीं करने से संबंधित आवेदन आम जनता द्वारा दिया जा सकता है।	कार्यपालक अभियंता
2	स्वच्छता सुविधा की उपलब्धता (ग्रामीण क्षेत्रों में ठच्छाई/क्षौचालय का निर्माण एवं भुगतान संबंधी मामले)			यह योजना ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है।